न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75(1)(डी) भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 52/2017

1. सुभाष पुत्र श्योप्रसाद पुत्र गंगाराम जाति नाई निवासी गांव मलसीसर, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र श्योप्रसाद पुत्र गंगाराम जाति नाई निवासी गांव मलसीसर, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
3. रूकमा पुत्री श्योप्रसाद पुत्र गंगाराम जाति नाई निवासी गांव मलसीसर, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
4. गुड्डी पुत्री श्योप्रसाद पुत्र गंगाराम जाति नाई निवासी गांव मलसीसर, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

– अपीलान्ट

बनाम

1. जोधाराम पुत्र जीसुखराम जाति खाती निवासी मलसीसर, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ।
2. ग्राम पंचायत मलसीसर जरिए सरपंच ग्राम पंचायत मलसीसर, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

उपस्थितः– श्री खेताराम कस्वां अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांकः–25.07.2024

अपील अपीलांट विरूद्व नामान्तरण संख्या 07 दिनांक 11.11.1976 द्वारा ग्राम पंचायत मलसीसर जिसकी रूह से गलत व गैरकानूनी तौर से अपीलान्टान की खातेदारी कृषि भूमि का नामान्तरण बिना ही अपीलान्ट को नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हक में स्वीकृत फरमाया गया, के संबध में अपील प्रस्तुत की गई है, जिसके तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:55 IST
Reason: SelfAttested

1. आदेश जेर अपील अदालत मातहत खिलाफ कानून, न्याय, नियम व म्हेदाद मियाद व खिलाफ प्राकृतिक इन्साफ के पारित किये जाने के कारण काबिले इखराजी है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न अपील प्रस्तुत है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2. आदेश जेर अपील अदालत मातहत लिगल, प्रोपर व करक्ट नही होने के कारण निरस्तनीय है।

3. आदेश जेर अपील अदालत मातहत विद्आउट ज्युरिडिक्शन के व आरविट्री तौर पर पारित किये जाने के कारण काबिल निरस्तनीय है।

4. आदेश जेर अपील अदालत मातहत लैण्ड रेवन्यू व लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के मैनेडन्टरी प्रोविजन के विपरीत पारित किये जाने के कारण निरस्तनीय है।

5. आदेश जेर अपील अदालत मातहत आर टी एक्ट 1955 के मैनेडन्टरी प्रोविजन के विपरीत पारित किये जाने के कारण निरस्तनीय है।

6. भूमि जेर बहस अपील ग्राम मलसीसर तहसील भादरा के साबिका खसरा नं. 152 तादादी 33 बिघा, 224 तादादी 24 बिघा 14 बिस्वा, 407 तादादी 44 बिघा 5 बिस्वा खाम, जिसके वर्तमान सर्वे खसरा नम्बरान 378 तादादी 18 बिघा, 668 तादादी 27 बिघा 10 बिस्वा व 71 तादादी 1 बिघा 8 बिस्वा व अन्य बने है, कुल तादादी 46 बिघा 18 बिस्वा पक्का जिसका ओरिजनल खातेदार काश्तकार मोहका पुत्र गंगा कौम नाई साकिन मलसीसर था जिसके नाम से मुतनाजा भूमि का नामान्तरण संख्या 159 दिनांक 31.5.1961 को खातेदारी का ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा स्वीकृत फरमाया गया था व उसकी मृत्यु के पश्चात मुतनाजा भूमि का विरासतन नामान्तरण संख्या 289 दिनांक 10.12.1968 को ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा अपीलान्ट के पिता श्योप्रसाद पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज कर स्वीकृत फरमा दिया गया। उसके पश्चात बिना खाता विभाजन करवाए व फरेगमेन्ट बनते हुए मुतनाजा भूमि में से वर्तमान सर्वे खसरा नं. 668 की 27 बिघा 10 बिस्वा भूमि में से आधा हिस्सा 13 बिघा 15 बिस्वा का बैयनामा बिना अपीलान्ट के पिता की जगह किसी फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपने नाम से निष्पादित करवा लिया गया उसके पश्चात मुतनाजा भूमि का नामान्तरण बिना ही अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता को सूचना, सुनवाई का अवसर दिये अपने नाम से दर्ज करवा लिया गया जो कि नामान्तरण हर प्रकार से इन लिगल व वॉयड एब इनिशियो होने के कारण निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:55 IST
Reason: SelfAttested

7. भादरा तहसील की सिलिंग लिमिट 88 बिघा भूमि, जिसका 1/5 भाग कानूनन फरेगमेंन्ट बनता है, जो कि 16 बिघा होता है, वादग्रस्त भूमि का जो बैयनामा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में अपीलान्ट के पिता द्वारा करना बताया गया है, वो 16 बीघा से कम भूमि का होने के कारण व बिना खाता विभाजन करवाये खसरा खोलकर विक्रय किये जाने के कारण धारा 42 आर टी एक्ट व धारा 211 आर टी एक्ट. के मैनेडेन्टरी प्रोविजन के विपरीत होने के कारण एब इनिशियों वॉयड है व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

उस पर आधारित अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण स्वतः ही एव इनिशियों नल एण्ड वॉयड है। इस प्रकार कानून के विरूद्ध जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वो हर प्रकार से विधि विरूद्ध तरीके से पारित किये जाने के कारण निरस्तनीय है।

8. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टान पक्षकार नही थे व आदेश जेर अपील अदालत मातहत से एग्रिवड पक्षकार है, सो अदालत वाला की पूर्वानुति से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है, सो उनको अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे।

9. अपीलान्टान का पिता श्योप्रसाद पुत्र गंगाराम फौत हो चुका है जिसके अपीलान्टान जायज व कानूनी वारिसान होने के कारण मुतनाजा भूमि के कानूनन हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 व आर टी एक्ट 1955 के प्रावधानों के मुताबिक कानूनन बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिक खातेदार काश्तकार है।

10. दीगर वजुआत पर भी अपील काबिले मन्जुरी के है जो कि तथ्य वरवक्त बहस अर्ज किये जाएगे।

11. अपील पूर्ण न्याय शुल्क पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में व ईल्म की दिनांक 06.10.2017 से अन्दर मियाद प्रस्तुत है व साथ में दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र मियान कन्डोन किये जाने बाबत अलग से प्रस्तुत है, सो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे व अपीलान्टान को दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का फायदा दिया जावे।

अतः अपील अपीलान्टान सेवामें प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 07 दिनांक 11.11.1976 निरस्त फरमाया जावे व मुतनाजा भूमि का नामान्तकरण अपीलान्टान के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे व अन्य कोई अनुतोष नियम व कानून से मिलता हो दिया जावे।

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1, 2 रजिस्टर्ड डाक नोटिस द्वारा तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुये। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या–1, 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा की अपीलाधीन नामान्तरण की मूल प्रति तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:55 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मोहका पुत्र गंगा कौम नाई साकिन मलसीसर था, जिसके नाम से मुतनाजा भूमि का नामान्तरण संख्या 159 दिनांक 31.5.1961 को खातेदारी का ग्राम पंचायत

अतिरिक्त जिला कल
मोहर (हनुमानगढ़,

मलसीसर द्वारा स्वीकृत फरमाया गया था व उसकी मृत्यु के पश्चात मुतनाजा भूमि का विरासतन नामान्तरण संख्या 289 दिनांक 10.12.1968 को ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा अपीलान्ट के पिता श्योप्रसाद पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज कर स्वीकृत फरमा दिया गया। उसके पश्चात बिना खाता विभाजन करवाए व खसरा नं. 668 की 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से आधा हिस्सा 13 बीघा 15 बिस्वा का बैयनामा बिना अपीलान्ट के पिता की जगह किसी फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपने नाम से निष्पादित करवा लिया गया। उसके पश्चात मुतनाजा भूमि का नामान्तरण बिना ही अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता को सूचना, सुनवाई का अवसर दिये अपने नाम से दर्ज करवा लिया गया। अतः नामान्तरण संख्या 07 दिनांक 11.11.1976 खारिज कर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एंव तलबशुदा नामान्तरण एंव पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया गया तो पाया कि नामान्तरण संख्या 07 दिनांक 11.11.1976 सरपंच ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा दर्ज किया गया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामान्तरण की अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा नामान्तरण पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.7.24 को सरेइजलास सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:55 IST
Reason: SelfAttested